न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 252 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 252

अजायब सिंह पुत्र दमन सिंह जाति जट सिख आयु वर्ष निवासी पिण्डी बलौचां तहसील फरीदकोट (पंजाब)
–– प्रार्थी

बनाम

1. साधू सिंह
2. मिठू सिंह
3. दर्शन सिंह
4. हरकौर
5. हरनाम कौर
6. मुखत्यार कौर

पिसरान अर्जुन सिंह अकवाम जट सिख साकिनान आसाबूटर तहसील मुक्तसर (पंजाब)

7. बलबीर कौर बेवा आसाबूटर
8. हरबंस सिंह
9. जसवंत सिंह

बीकर सिंह — पिसरान बीकरसिंह — अकवाम जट सिख निवासीयान तहसील मुक्तसर (पंजाब)

10. कन्ता सिंह

11. मुखत्यार सिंह
12. हरनेक सिंह
13. मन्दत्र सिंह

पिसरान इन्द्र सिंह अकवाम जट सिख साकिनान आसाबूटर तहसील मुक्तसर (पंजाब)

14. जसकौर
15. मुखत्यार कौर
16. माडो

पिसरान इन्द्र सिंह अकवाम जट सिख साकिनान आसाबूटर तहसील मुक्तसर (पंजाब)

17. गुरदेव सिंह पुत्र श्री चगड़ सिंह जाति जट सिख साकिन सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. गुरमेल सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह जाति जट सिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

19. आसा सिंह पुत्र श्री भाग सिंह जाति जट सिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

20. अमरजीत सिंह
21. हरबंस सिंह
22. हरपाल सिंह
23. मन्दो कौर

} पिसरान भाग सिंह अकवाम जट सिख साकिनान सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

24. भोजासिंह
25. मेजर सिंह

} पिसरान अर्जुन सिंह अकवाम जट सिख साकिनान सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

26. तेजा सिह पुत्र चगड़ सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ।

27. सन्तान सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ।

28. मेजर सिह पुत्र जंगीर सिह
29. पाल सिंह पुत्र जंगीर सिंह
30. दिलबाग सिंह पुत्र जंगीर सिंह
31. जसकरण सिंह पुत्र जंगीर सिंह
32. सुखदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह
33. बगड़ सिंह पुत्र उजागर सिह
34. बाबू सिंह उजागर सिंह
35. नाजर सिह पुत्र उजागर सिंह
36. गुरसेवक सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह
37. महमा सिह पुत्र मुखत्यार सिंह

38. तारा सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

39. हरमेल सिह पुत्र बलवीर सिंह
40. बलदेव सिह पुत्र बलवीर सिह
41. गुरदेव सिह पुत्र. बलवीर सिंह
42. बलराज सिंह पुत्र बलवीर सिंह
43. पालकौर पुत्री लवीर सिह
44. हरबंस सिह पुत्र निधान सिंह
45. बुध सिंह पुत्र निधान सिंह
46. गुरजीत सिंह पुत्र दलबारासिंह
47. जसपाल सिंह पुत्र दलबारा सिंह
48. आलासिंह पुत्र भाग सिह
49. अमरजीत सिंह पुत्र भाग सिह
50. हरबंस सिंह पुत्र भाग सिह

} जाति जटसिख निवासीगण सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

51. हरपाल सिह पुत्र भाग सिह
52. मन्दो कौर दुख्तर भाग सिह
53. भोजा सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह जाति जट सिख निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
54. मेजर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति जट सिख निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
55. अमरदीप सिह पुत्र हरपाल सिह उर्फ पाल सिंह
56. कर्मदीप सिह पुत्र. हरपाल सिंह उर्फ पाल सिंह
57. गुरसेवक सिह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ पाल सिह
58. सुखजिन्द्र कौर पत्री हरपाल सिंह उर्फ पाल सिह

जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

59. नरेनद्र सिंह पुत्र. जीवन सिंह जाति जटसिख निवासी सेक्टर 06 बी/57 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
60. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. विरूद्व निर्णय दिनांक 19.05.2012 अपील संख्या 223/32/1997 शीर्षक "साधुसिंह बनाम गुरदयाल कौर व अन्य"

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र सहारण अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्री राजेश दीपराय अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 55 से 59
3. श्री कैलाश धामू अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 2 व 8

निर्णय दिनांकः— 27.X.2022

1. प्रार्थी अजायब सिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 19.05.2012 के विरूद्व इस न्यायालय में पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 25 साधु सिंह आदि के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसका क्रमांक 223/32/1997 कायम हुआ। इस अपील में गुरदयाल कौर उपस्थित आई व अपनी ओर से वकील मुकर्रर कर पैरवी की अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी दिनांक 15.05.98 को प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.08.1998 को पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र बाबत प्रस्तुत किये जाने अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार किया व रेस्पोडेंट को खण्डनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए अपील अंतिम बहस हेतु दिनांक 17.08.1998 को नियत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की। प्रत्यर्थीया गुरदयाल कौर की ओर से न्यायालय के आदेश दिनांक 10.08.98 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 156/1998 शीर्षक ''गुरदयाल कौर आदि बनाम साधु सिंह व अन्य'' प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल के द्वारा अपील की पत्रावली को निगरानी के निर्धारण हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात् उक्त अपील की कार्यवाही स्थगित रही। अन्त में उपरोक्त निगरानी राजस्व मण्डल के द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.04.2005 के द्वारा खारिज की गई व उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील की कार्यवाही में प्रस्तुत होने के लिए दिनांक 30.05.2005 नियत की। राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा नियत तिथि तक माननीय न्यायालय में विचाराधीन अपील की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई। प्रत्यर्थीया गुरदयाल कौर के अधिवक्ता द्वारा भी उपरोक्त वर्णित निगरानी के खारिज होने व दिनांक 30.05.2005 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने सम्बंधी कोई जानकारी नहीं दी। ऐसी अवस्था में जानकारी के अभाव में गुरदयाल कौर को उक्त अपील की कार्यवाही के प्रारम्भ होने सम्बंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अपील की पत्रावली के फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रतिलिपि जो दिनांक 01.07.2022 को प्राप्त हुई है, के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 20.06.2005 को राजस्व मण्डल अजमेर से अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् पक्षकारों की तलबी हेतु दिनांक 16.07.2005 नियत की। यह स्थिति दिनांक 28.10.2006 तक पक्षकारों की तलबी के लिए चलती रही। दिनांक 28.10.2006 को अपील में प्रत्यर्थीगण संख्या 17 व 18 ने अपनी उपस्थिति दी। तत्पश्चात् दिनांक 12.12.2006 मुकर्रर हुई। दिनांक 12.12.2006 की ऑर्डरशीट में अन्य प्रत्यर्थीगण बावजूद तामील के हाजिर नहीं आने होना बताए गए। तत्पश्चात इसी प्रकार से कार्यवाही तलबी के लिए ही चलती रही। दिनांक 15.01.2009 के फर्द अहकाम से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा पूर्व में तलबी की कार्यवाही की गई थी। रेस्पोडेंट संख्या–1 गुरदयाल कौर व अन्य रेस्पोडेंट संख्या 2, 9, 10, 12, 13, 14, 16 ता 26, 30 ता 32 के रजिस्टर्ड लिफाफे अदम तामील प्राप्त हुए। इसके साथ ही इन रेस्पोडेंटस को तलब करने के लिए समाचार पत्र में सम्मन को प्रकाशित करने के आदेश भी दिये गये। इसके पश्चात् उक्त अपील की कार्यवाही अन्य प्रत्यर्थीगण की तामील के लिए नियत रही। तत्पश्चात दिनांक 17.04.2012 तक यह मिसल बिना किसी कार्यवाही के लम्बित रही व फर्द अहकाम दिनांक 17.04.2012 के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या–15 के वारिसान को तलब करने के लिए स्थानीय अखबार में सम्मन को प्रकाशित करने के लिए आदेश दिये गये व फर्द अहकाम दिनांक 15.05.2012 के अवलोकन से जाहिर हुआ है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 15/1 से 15/4 जिनके सम्मन अखबार में प्रकाशित करवाए गए थे, उनके विरूद्व दिनांक 15.05.2012 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् मिसल दिनांक 16.05.2012 को अंतिम बहस के लिए नियत की गई व न्यायालय ने इस रोज बहस सुनकर दिनांक 18.05.2012 आदेश के लिए नियत की व उस रोज अर्थात 18.05.2012 को अपील अपीलांट स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करने का निर्णय पारित किया। माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2012 पूर्णतया एकतरफा पारित किये गये है। माननीय न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थीया संख्या–1 गुरदयाल कौर की तामील सम्यक रूप से नहीं करवाई गई है। श्रीमति गुरदयाल कौर को साधारण रीति से तलब करने हेतु सम्मन जारी नहीं किये गये। माननीय न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थीया संख्या–1 गुरदयाल कौर को तलब करने हेतु जो सम्मन रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भिजवाये गये, वे भी अदम तामील लौटे थे। इस सम्बंध में माननीय न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.01.2009 उस स्थिति को स्पष्ट करती है परन्तु इसके बावजूद भी गुरदयाल कौर को वापिस रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्मन भिजवाने के आदेश नहीं पारित किये गये जो आवश्यक थे। माननीय न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थीया गुरदयाल कौर के सम्मन को अखबार में प्रकाशित करने के जो आदेश दिनांक 15.01.2009 को पारित किये थे वे विधि सम्मत नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में ही अखबार में सम्मन का प्रकाशन करवाया जा सकता है जबकि पक्षकार का पता सही न हो अथवा पक्षकार अपना पता बार बार बदल रहा हो और तामील प्राप्त करने से गुरेज कर रहा हो। ऐसी कोई भी परिस्थिति इस प्रकरण में विद्यमान नहीं रही है। इस प्रकार माननीय न्यायालय के द्वारा दैनिक भास्कर जो कि श्रीगंगानगर से प्रकाशित होता है, में सम्मन का प्रकाशन करवाने का आदेश की विधि सम्मत नहीं है। क्योंकि प्रत्यर्थीया गुरदयाल कौर स्वीकृत तौर गांव बाजक तहसील व जिला बठिण्डा में तत्समय निवास कर रही थी और यही पता प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में उनके द्वारा स्वयं अंकित किया गया था। सम्मन का प्रकाशन पंजाब के किसी भी समाचार पत्र में न करवाने का एक ही उद्वेश्य रहा है कि प्रत्यर्थीया संख्या–1 जो कि मूल वादीया थी, को अपील की कार्यवाही के पुनः प्रारम्भ होने का ज्ञान न हो सके और उसकी अनुपस्थिति में अपील को निर्णित करवाया जा सके। प्रत्यर्थीया संख्या–1 गुरदयाल कौर एक बेवा, वृद्व व पूर्णतया अनपढ़ औरत थी जो कि कानूनी प्रकिया से भी वाकिफ नहीं थी। उसकी ओर से उसके दूर के रिश्तेदार श्री बोगा सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जट सिख निवासी सिंहपुरा हाल गुरूसर जिसे श्रीमति गुरदयाल कौर ने पैरवी हेतु मुखत्यार आम भी नियुक्त किया हुआ था जो पैरवी करने आते थे, वे भी आना बन्द हो गये ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित किये गये निर्णय की कोई जानकारी श्रीमति गुरदयाल कौर को नहीं हुई थी व न ही माननीय न्यायालय द्वारा अपील की कार्यवाही को प्रारम्भ करने के पश्चात प्रेषित कोई भी सम्मन उन्हें प्राप्त हुआ। श्रीमति गुरदयाल कौर ने अपने हक व अधिकार के लिए वाद प्रस्तुत किया जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई व वाद डिक्री हुआ ऐसी स्थिति में ऐसी कोई अवस्था नहीं थी कि वह अपील की कार्यवाहियों से जानबूझकर अनुपस्थित रही हो। हस्तगत प्रकरण कृषि भूमि के अधिकारों से सम्बंधित है जिसमें श्रीमति गुरदयाल कौर ने अपील की कार्यवाही के राजस्व मण्डल की निगरानी से स्थगित होने की अवस्था तक अत्यधिक जागरूकता व तत्परता से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पैरवी की है। तत्पश्चात् श्रीमति गुरदयाल कौर अस्वस्थ रहने लगी व न्यायालय की कार्यवाहियों के सम्बंध में सूचना प्राप्त होने की प्रतिक्षा करती रही। ऐसी अवस्था में स्पष्ट है कि उपरोक्त अपील का अभिनिर्धारण श्रीमति गुरदयाल कौर की अनुपस्थिति में हुआ है और श्रीमति गुरदयाल कौर अपने सुनवाई के विधिक अधिकार से पूर्णतया वंचित हुई है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2012 एकतरफा तौर पर निर्णित किया गया है जिसे अपास्त किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थी दिवंगत श्रीमति गुरदयाल कौर का वसीयती उत्तराधिकारी है। श्रीमति गुरदयाल कौर प्रार्थी की मासी थी जिसने अपनी समस्त चल व अचल सम्पति की एक वसीयत दिनांक 21.12.1992 को निष्पादित करवाकर सब रजिस्ट्रार फरीदकोट से पंजीकृत करवाई है। श्रीमति गुरदयाल कौर की सेवा टहल प्रार्थी ही करता था व प्रार्थी के साथ ही रहती थी। अब दिनांक 11.01.2022 को श्रीमति गुरदयाल कौर का निधन हो चुका है। श्रीमति गुरदयाल कौर की मृत्यु के पश्चात् उसके द्वारा पंजीकृत करवाई गई वसीयत प्रभाव में आई है। इस प्रकार प्रार्थी श्रीमति गुरदयाल कौर के स्थान पर प्रतिस्थापित होने व उसका वसीयती उत्तराधिकारी होने की स्थिति में श्रीमति गुरदयाल कौर के साम्पतिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भुआ श्रीमति गुरदयाल कौर के पुराने कागजात की पड़ताल करने पर यह जानकारी हुई है कि श्रीमति गुरदयाल कौर के द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि को प्राप्त करने के लिए हनुमानगढ़ स्थित राजस्व न्यायालयों में पैरवी की गई थी उन कागजात के आधार पर प्रार्थी को श्रीमति गुरदयाल कौर के राजस्व मण्डल अजमेर में नियुक्त किये गये अधिवक्ता की जानकारी हुई जिनसे स्वयं प्रार्थी मिला व राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.1998 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त की। इस निर्णय में माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में विचाराधीन अपील के बारे में भी जानकारी हुई। प्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायालय के कार्यालय में पड़ताल करने पर उक्त निर्णित अपील की पत्रावली का पता चला जिससे सम्बंधित प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता श्री संतोष सिंह भाटी के द्वारा दिनांक 01.07.2022 को प्राप्त की व अब बिना विलम्ब किये प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रीमति गुरदयाल कौर अथवा प्रार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में निर्णय पारित होने सम्बंधी कोई जानकारी पूर्व में नहीं रही है जो अब दिनांक 01.07.2022 को यह जानकारी हासिल हुई है। इस प्रकार से माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.05.2012 से लेकर दिनांक 01.07.2022 तक का समय परिसीमा से बाहर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो कि एक रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2012 अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थी को प्रत्यर्थीया श्रीमति गुरदयाल कौर के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए अपील को मामले के गुणावगुणों के आधार पर बाद सुनवाई निर्णित फरमाया जावे। प्रार्थी अजायब सिंह द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी इस न्यायालय में पेश किया।

2. उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण संख्या 55 से 59 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अजायब सिंह के कथनो को अस्वीकार किया तथा कथन किये कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 13.04.2005 को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निगरानी गुरदयाल कौर की खारिज की तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दोनों पक्षों को दिनांक 30.05.2005 की पेशी के लिए माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष उपस्थित होने के स्पष्ट निर्देश दिये थे। चूंकि गुरदयाल कौर को यह पूर्णतया आभास हो चुका था कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से बखूबी साबित हो चुका था कि गुरदयाल कौर का प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है, इसी कारण गुरदयाल कौर दिनांक 30.05.2005 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आई। गुरदयाल कौर दिनांक 30.05.2005 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आई यदि वह उपस्थित आती तो अपना लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती, ऐसी कोई उपस्थिति गुरदयाल कौर की ओर से दर्ज नहीं करवाई गई है। गुरदयाल कौर को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2012 का शुरू से ज्ञान रहा है। गुरदयाल कौर को अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह पूर्णतया आभास हो चुका था कि कानूनी रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त होगी, इसी कारण गुरदयाल कौर बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुई। दिनांक 30.05.2005 को गुरदयाल कौर की ओर से कोई उपस्थिति माननीय न्यायालय में दर्ज नहीं करवाई गई। दिनांक 12.12.2006 को रेस्पोडेंट संख्या 5, 32 व 28 के सम्मन पर तामील व 25 ता 27, 13 व 19 के भाई पर तामील होने के बावजूद हाजिर नहीं आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 23, 24, 16, 7, 8 के नोटिस सही पते के अभाव में वापिस आने का उल्लेख है। दिनांक 15.01.2009 को रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 16 ता 26, 30, 32 के रजिस्टर्ड एडी सम्मन अदम तामील आए। माननीय न्यायालय ने समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्वविवेक से दैनिक भास्कर अखबार में सम्मन साया करने के आदेश पारित किये जो विधि सम्मत है। अपीलांट/अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2009 की पालना में अखबार साया करवा दिया तथा दिनांक 05.02.2009 को अखबार की प्रति पेश कर दी, लेकिन इसके बावजूद गुरदयाल कौर उपस्थित नहीं आई। शेष रेस्पोडेंट की तामील होने के पश्चात् उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पत्रावली अंतिम बहस हेतु मुकर्रर की गई व बहस सुनी जाकर दिनांक 18.05.2012 को निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि सम्मत है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री किसी भी आधार पर प्रार्थी अपास्त करवाने का अधिकारी नहीं है। निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने गुरदयाल कौर द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या–156/1998 में निर्णय दिनांक 13.04.2005 को पारित किया तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सम्बंधित पक्षकारों को दिनांक 30.05.2005 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के स्पष्ट निर्देश दिये, लेकिन गुरदयाल कौर ने दिनांक 30.05.2005 को माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। न्यायालय ने दिनांक 20.06.2005 को तलब करने के आदेश पारित किये। गुरदयाल कौर ज्ञान के बावजूद उपस्थित नहीं आई। गुरदयाल कौर ज्ञान के बावजूद माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आई। माननीय न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि गुरदयाल कौर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार उपस्थित नहीं आई तथा गुरदयाल कौर ज्ञान के बावजूद उपस्थित नहीं आ रही। माननीय न्यायालय ने अपने स्वःविवेक से दिनांक 15.01.2019 को अखबार में साया करने के आदेश दिये जो कि एक विधि सम्मत आदेश हैं। गुरदयाल कौर ज्ञान के बावजूद उपस्थित नहीं आ रही थी। उक्त समस्त परिस्थितियां न्यायालय के समक्ष आ चुकी थी तथा न्यायालय ने अपने स्वःविवेक से अखबार में साया करने के आदेश पारित किये। प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण में गुरदयाल कौर को गांव बाजक तहसील व जिला बठिण्डा में निवास करने के कथन किये हैं जबकि प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में प्रार्थी ने राजस्व वाद संख्या–274/2022 बअनवानी ''अजैबसिंह बनाम अमरदीप सिंह आदि'' न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, संगरिया में प्रार्थी ने गुरदयाल कौर को अपने पास पिण्डी बिलौचां तहसील फरीदकोट में रहने के कथन किये हैं। प्रार्थी सद्भावी नहीं है। गुरदयाल कौर को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निगरानी निर्णय एवं अपील संख्या 83/1996 बअनवानी ''साधु सिंह बनाम गुरदयाल कौर आदि'' का ज्ञान रहा है। यह तथ्य हास्यास्पद है कि राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुई निगरानी का निर्णय दिनांक 13.04.2005 को हो जाने के पश्चात् गुरदयाल कौर जो कि प्रार्थी के अभिवचनों के मुताबिक माह जनवरी 2022 में फौत हुई है, अर्सा 17 वर्ष तक अपने मुकदमें का सुध न ले। प्रार्थी ने गुरदयाल कौर के बेवा वृद्व व अनपढ़ औरत होने सम्बंधी कथन असंगत किये हैं। गुरदयाल कौर ने मिथ्या आधारों पर वाद पत्र प्रस्तुत किया था माननीय न्यायालय के समक्ष साधु सिंह आदि ने अपील प्रस्तुत की थी तथा अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। उक्त दस्तावेजों से यह साबित था कि गुरदयाल कौर ने चनण सिंह से शादी की है तथा चनण सिंह के नुत्फे से व गुरदयाल कौर की कोख से पुत्र व पुत्रीयां है तथा चनण सिंह के फौत होने के पश्चात उसकी विरास्त में गुरदयाल कौर व उसके पुत्र पुत्रीयों को चनण सिंह की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सम्पति औद हुई है तथा इस सम्बंध में दर्शन सिंह जो कि गुरदयाल कौर का पुत्र है, का शपथ पत्र व मन्दर सिंह जो कि गुरदयाल कौर की पुत्री का देवर है, का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेज माननीय न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर लिये गये जिसके विरूद्व गुरदयाल कौर ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी भी प्रस्तुत की थी जो खारिज हो चुकी थी। माननीय न्यायालय द्वारा जो दस्तावेज रिकार्ड पर लिये गये थे, से गुरदयाल कौर को यह पूर्णतया आभास हो चुका था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में जारी डिक्री अपास्त होगी। प्रार्थी ने गुरदयाल कौर के जागरूकता व तत्परता के कथन जिस कदर बयान किये हैं अस्वीकार है। राजस्व मण्डल में गुरदयाल कौर की निगरानी खारिज होने के पश्चात हस्तगत प्रकरण में अपने पक्ष में कृषि भूमि होने की संभावना समाप्त हो चुकी थी तथा उसने कोई तत्परता व जागरूकता नहीं दर्शायी। यह तथ्य हास्यास्पद है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.04.2005 व उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश के बावजूद गुरदयाल कौर उपस्थित नहीं आई तथा न ही अपने जीवन काल माह जनवरी 2022 तक उक्त मुकदमें की कोई सुध ली। प्रार्थी ने गुरदयाल कौर के अस्वस्थ रहने व सूचना प्राप्त होने की प्रतिक्षा सम्बंधी कथन मिथ्या हैं। प्रार्थी ने राजस्व वाद संख्या 274/2022 "अजैब सिंह बनाम अमरदीप सिंह आदि" में गुरदयाल कौर के बीमार होने सम्बंधी कोई कथन नहीं किये बल्कि राजस्व वाद में यह कथन किये कि गुरदयाल कौर अपने जीवनकाल में कृषि भूमि प्रतिवादीगण को हिस्सा ठेका पर देती थी लेकिन प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में राजस्व वाद से विपरीत कथन किये हैं गुरदयाल कौर अपने किसी भी अधिकार से वंचित नहीं हुई तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2012 विधि सम्मत है जो किसी भी आधार पर अपास्त होने योग्य नहीं है। गुरदयाल कौर ने प्रार्थी द्वारा अभिकथित ऐसी कोई वसीयत निष्पादित नहीं करवाई तथा न ही गुरदयाल कौर को प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में वसीयत निष्पादित करने का कोई अधिकार था। गुरदयाल कौर की मृत्यु दिनांक 16.01.2022 को होने के कथन ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी गुरदयाल कौर का अभिकथित वसीयती उत्तराधिकारी नहीं है। प्रार्थी को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभिकथित वसीयत के हिन्दी रूपान्तरण में गुरदयाल कौर के कोई औलाद नहीं होने के कथन किए जबकि गुरदयाल कौर के पुत्र व पुत्री थे। प्रश्नगत कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 55 से 59 को 10 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि सद्भाविक तौर पर सप्रतिफल खरीद की है। दिनांक 18.05.2012 को अप्रार्थी संख्या 55 से 59 द्वारा कृषि भूमि खरीद करते समय तक किसी भी न्यायालय में कोई वाद अथवा कार्यवाही विचाराधीन नहीं थी बल्कि राजस्व अभिलेख में उपरोक्त कृषि भूमि विक्रेतागण के नाम थी तथा कब्जा भी विक्रेतागण का था। अप्रार्थी संख्या 55 से 59 ने मौका व रिकार्ड की खुल्लम खुल्ला चर्चा कर समस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिफल राशि विक्रेतागण को अदा कर खरीद की है तथा मौका पर कब्जा विक्रेतागण से प्राप्त किया तभी से उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 55 से 59 के आधिपत्य व धारण में है। अप्रार्थी संख्या 55 से 59 सद्भाविक क्रेता हैं। अप्रार्थी संख्या 55 से 59 के पक्ष में निष्पादित बैयनामेंजात रजिस्टर्ड हैं जिसको निरस्त करवाए बिना प्रार्थी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 10.08.1998 को कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। प्रार्थी ने मिथ्या एवं निराधार कथन किये हैं। प्रार्थी किसी भी आधार पर दिनांक 18.05.2012 से लेकर दिनांक 01.07.2022 तक का समय परिसीमा से बाहर नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बंध में राजस्व वाद संख्या 274/2022 अनवान "अजैब सिंह बनाम अमरदीप सिंह व अन्य" प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण में राजस्व वाद संख्या 274/2022 से हटकर कथन किये हैं। राजस्व मण्डल अजमेर में गुरदयाल कौर ने निगरानी संख्या 156/1998 प्रस्तुत की। उक्त निगरानी में गुरदयाल कौर के अधिवक्ता की उपस्थिति में निर्णय हुआ तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पक्षकारों को माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.05.2005 को उपस्थित होने के निर्देश दिए, लेकिन गुरदयाल कौर ने दिनांक 30.05.2005 को अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। गुरदयाल कौर ज्ञान के बावजूद उक्त पत्रावली में उपस्थित नहीं आई। माननीय न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि गुरदयाल कौर जानबूझकर अपील में उपस्थित नहीं हो रही, जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने स्वःविवेक से दैनिक भास्कर समाचार पत्र में तामील प्रकाशित करने के आदेश दिये। तामील दैनिक भास्कर में प्रकाशित होने के पश्चात् भी गुरदयाल कौर उपस्थित नहीं आई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तामील हेतु सभी विधि सम्मत कार्यवाही की गई। प्रार्थी अपने आपको गुरदयाल कौर का भतीजा होने के मिथ्या कथन कर रहा है। प्रार्थी द्वारा अभिकथित वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है। गुरदयाल कौर ने अभिकथित ऐसी कोई वसीयत नहीं करवाई तथा न ही उसे वसीयत करने का अधिकार प्राप्त था। जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने का निवेदन किया तथा धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी में प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2012 को अपास्त करने के कथन किये हैं जबकि दिनांक 18.05.2012 को आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया। प्रार्थी एक तरफ तो गुरदयाल कौर के स्वयं के पास आने व उसकी सेवा चाकरी उसके द्वारा किये जाने के कथन किये हैं तथा इसके अलावा प्रश्नगत भूमि की अभिकथित वसीयत दिनांक 21.12.1992 को अपने पक्ष में होने के कथन किये हैं तथा दूसरी ओर गुरदयाल कौर द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि को प्राप्त करने के लिए हनुमानगढ़ स्थित राजस्व न्यायालय में पैरवी करने की जानकारी अब होने के कथन कर रहा है। प्रार्थी ने राजस्व वाद संख्या 274/2022 में किये गये कथनों के विपरीत कथन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किये हैं। प्रार्थी को शुरू से ही अपील के निस्तारण का ज्ञान रहा है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अर्सा 10 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया है जो सर्वथा मियाद बाहर है। प्रार्थी ने उक्त अपील के निर्णय पारित होने की जानकारी न होने व अब दिनांक 01.07.2022 को जानकारी हासिल होने के कथन मिथ्या व निराधार किये हैं। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया कि गुरदयाल कौर ने दिनांक 18.05.2012 से लेकर अपने जीवनकाल तक अर्थात माह जनवरी 2022 तक क्या कार्यवाही की। माननीय राजस्व मण्डल के निर्देश के बावजूद गुरदयाल कौर अथवा उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया। प्रार्थी ने दिनांक 01.07.2022 को नकल प्राप्त कर जानकारी होने सम्बंधी कथन प्रार्थना पत्र का ढ़ांचा तैयार करने की गर्ज से किये हैं जबकि गुरदयाल कौर व प्रार्थी को उक्त अपील के निर्णय दिनांक 18.05.2012 का शुरू से ही ज्ञान रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी सर्वथा मियाद बाहर है। प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के अनुतोष में आदेश 41 नियम 22 सीपीसी को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के मिथ्या कथन किये हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की संरचना दोषपूर्ण है प्रार्थी विलम्ब को क्षमा करवाने का किसी प्रकार से अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने का निवेदन किया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी ने आदेश 26 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलार्थीगण अमरदीप सिंह आदि के द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 29.08.2022 में स्वयं को सद्भावी क्रेता अभिकथित कर भूमि का कब्जा बैयनामा दिनांक 18.05.2012 के अनुसरण में प्राप्त कर हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का असत्य कथन किया है जबकि वादाधीन भूमि पर अमरदीप सिंह आदि का कथित बैयनामों के आधार पर कब्जा ही नहीं है। ऐसे बैयनामें पूर्णतया गलत, विधि विरूद्व व अधिकारिता रहित एवं प्रतिफल रहित है। प्रश्नगत कृषि भूमि पर प्रार्थी अजायब सिंह का भौतिक कब्जा काश्त है। उक्त बैयनामा दिनांक 18.05.2012 के समय भी विक्रेता का कब्जा नहीं था। उक्त भूमि पर कब्जा सम्बंधी प्रशन इस प्रकरण के न्यायपूर्ण हल के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसे मौका निरीक्षण कर ज्ञात किया जाना अति आवश्यक है। अतः कथित बैयनामा दिनांक 18.05.2012 में दर्शित कृषि भूमि का भौतिक निरीक्षण करने सम्बंधी अभिभाषक कमिशनर अथवा तहसीलदार मुतल्लिका को मौका पर भेजकर कब्जा एवं अन्य अलामात का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 55 ता 59 ने धारा 26 नियम 9 सीपीसी का जवाब पेश कर कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर कब्जा बरोज बैयनामा अप्रार्थी संख्या 55 ता 59 का है। प्रार्थी ने राजस्व वाद संख्या 274/2022 बअनवानी अजैब सिंह बनाम अमरदीप सिंह आदि" में प्रार्थी ने वाद पत्र की चरण संख्या–8 में यह कथन किये हैं कि "गुरदयाल कौर अपने जीवनकाल में कृषि भूमि प्रतिवादीगण को हिस्सा ठेका पर देती थी। गुरदयाल कौर की मृत्यु के बाद वादी ने प्रतिवादीगण को वसीयत दिखाते हुए निवेदन किया कि वह वसीयत के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कृषि भूमि का मालिक है इस कारण उसे कृषि भूमि का कब्जा सुपुर्द कर देंवे लेकिन प्रतिवादीगण ने कब्जा सुपुर्द करने से इन्कार कर दिया।" वादी ने अपने वाद पत्र में कब्जा कृषि भूमि दिलवाए जाने का अनुतोष भी चाहा था जिससे यह बखूबी साबित है कि प्रश्नगत भूमि पर कब्जा प्रार्थी अजायब सिंह का नहीं है बल्कि क्रेतागण का उपरोक्त भूमि पर कब्जा है। प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 सीपीसी का है। कानूनन कब्जे के सम्बंध में अभिभाषक कमिशनर अथवा तहसीलदार को मौका कमिशनर नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। प्रार्थी सदभावी नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने एकपक्षीय स्थगन हासिल कर रखा है। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होते ही अविलम्ब जवाब पेश कर दिया था। मूल प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 जाब्ता दीवानी सर्वथा मियाद बाहर है। प्रार्थी स्थगन प्रार्थना पत्र व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस न करने की गर्ज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज करने का निवेदन किया।

5. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा गुरदयाल कौर की तामील सम्यक रूप से नहीं करवाई तथा गुरदयाल कौर को साधारण रीति से तलब करने हेतु सम्मन जारी नहीं किये गये तथा गुरदयाल कौर को प्रेषित किये गये रजिस्टर्ड डाक के सम्मन अदम तामील लौटें हैं। इस सम्बंध में माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.01.2009 को अखबार में साया करने के आदेश पारित किये। न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2009 को पारित किये आदेश विधि सम्मत नहीं है। अखबार में सम्मन का प्रकाशन उसी स्थिति में करवाया जा सकता है जबकि पक्षकारान का पता सही न हो अथवा पक्षकार अपना पता बार बार बदल रहा हो और तामील प्राप्त करने में गुरेज कर रहा हो, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी। गुरदयाल कौर बेवा, वृद्व व अनपढ़ महिला थी जिसे कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं था उसकी ओर से उसके दूर के रिश्तेदार बोगा सिंह पुत्र कृपाल सिंह पैरवी हेतु मुखत्यार आम नियुक्त किया हुआ था जो पैरवी करने आते थे वे भी आना बन्द हो गये। गुरदयाल कौर को राजस्व मण्डल में पारित निर्णय की जानकारी नहीं रही तथा न ही न्यायालय द्वारा अपील की कार्यवाही को प्रारम्भ करने के पश्चात प्रेषित कोई सम्मन उन्हें प्राप्त हुआ। गुरदयाल कौर ने अपील की कार्यवाही के राजस्व मण्डल की निगरानी से स्थगित होने की अवस्था तक अत्यधिक जागरूकता व तत्परता से पैरवी की। तत्पश्चात् गुरदयाल कौर अस्वस्थ रहने लगी व न्यायालय की कार्यवाही के सम्बंध में सूचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा करती रही। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी गुरदयाल कौर का वसीयती उत्तराधिकारी है। गुरदयाल कौर प्रार्थी की भुआ थी। गुरदयाल कौर की मृत्यु दिनांक 11.01.2022 को हो चुकी है। प्रार्थी ने दफा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी भुआ श्रीमति गुरदयाल कौर के पुराने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कागजात की पड़ताल करने पर यह जानकारी हुई कि गुरदयाल कौर के द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि को प्राप्त करने के लिए हनुमानगढ़ स्थित राजस्व न्यायालय में पैरवी की गई। उन कागजात के आधार पर प्रार्थी को गुरदयाल कौर के राजस्व मण्डल अजमेर में नियुक्त किये गये अधिवक्ता की जानकारी मिली जिनसे स्वयं प्रार्थी ने मिलकर निर्णय दिनांक 10.08.98 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त की। इस निर्णय में माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में विचाराधीन अपील के बारे में भी जानकारी हुई। प्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायालय के कार्यालय में पड़ताल करने पर उक्त अपील की पत्रावली का पता चला जिससे प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रार्थी को अपने अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 01.07.2022 को प्राप्त हुई तथा प्रार्थी ने अविलम्ब उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। गुरदयाल कौर अथवा प्रार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में निर्णय पारित होने सम्बंधी कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी जो अब 01.07.2022 को हुई। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अपीलांट अन्दर मियाद ग्रहण किया जावे। आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अमरदीप सिंह आदि के प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2022 में स्वयं को सद्भावी केता होने व उपरोक्त भूमि पर अपना कब्जा होने के मिथ्या कथन किये हैं। जबकि उनका कब्जा नहीं है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी अजायब सिंह के आधिपत्य व धारण में है। इस प्रकरण में कब्जा सम्बंधी प्रश्न न्यायपूर्ण हल के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मौके पर कब्जा व अन्य अलामात का निरीक्षण करने हेतु अभिभाषक कमिशनर अथवा तहसीलदार को नियुक्त किया जावे। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2012 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी को गुरदयाल कौर के स्थान पर स्थापित करते हुए अपील की सुनवाई की जावे।

6. अप्रार्थीगण ने आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं अपना कब्जा होना स्वीकार नहीं करता है। इस सम्बंध में प्रार्थी द्वारा माननीय सहायक कलैक्टर एव उपखण्डाधिकारी संगरिया के समक्ष राजस्व वाद संख्या–274/2022 की चरण संख्या–8 में यह कथन किये हैं कि प्रतिवादीगण को वसीयत दिखाते हुए निवेदन किया कि वह उक्त वसीयत के आधार पर कृषि भूमि का मालिक है उसे कृषि भूमि का कब्जा सुपुर्द कर देंवे तथा अनुतोष (ग) में कब्जा कृषि भूमि का वादी को दिलाए जाने का उल्लेख है। प्रार्थी ने अपने पूर्ववर्ती वाद संख्या 274/2022 जो दिनांक 30.05.2022 को प्रस्तुत किया था, से विपरीत कथन कर रहा है। कानूनन कब्जे के सम्बंध में कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता। पक्षकारों को अपनी साक्ष्य से कब्जा साबित करना होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. व दफा–5 मियाद अधिनियम का है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. पर बहस करते हुए अप्रार्थी ने निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.98 को आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेज रिकार्ड पर लिये गये। इस आदेश दिनांक 10.08.98 के विरूद्व गुरदयाल कौर ने माननीय राजस्व में निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में दिनांक 13.04.2005 को निर्णित करते हुए गुरदयाल कौर की निगरानी खारिज कर दी तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दोनों पक्षों को दिनांक 30.05.2005 की पेशी के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये, लेकिन गुरदयाल कौर दिनांक 30.05.2005 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आई तथा न ही अपना कोई लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 30.05.2005 को माननीय न्यायालय को पत्रावली प्राप्त नहीं होने पर गुरदयाल कौर का यह दायित्व था कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष अपना लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती। वस्तुतः आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेज जो कि गुरदयाल कौर के पुत्र का शपथ पत्र व गुरदयाल कौर की पुत्री के देवर मंगल सिंह का शपथ पत्र आदि दस्तावेज थे जिसमें गुरदयाल कौर की शादी चनण सिंह के साथ होने का तथ्य साबित था। उक्त दस्तावेजात से गुरदयाल कौर को यह आभास हो चुका था कि उक्त दस्तावेज से बखूबी साबित होता है कि प्रश्नगत भूमि में उसका कोई हक व हिस्सा नहीं है। गुरदयाल कौर को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद उपस्थित न आने पर माननीय न्यायालय ने न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किये तत्पश्चात रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया तथा माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.01.2009 को समस्त परिस्थितियों को देखते हुए स्वःविवेक से दैनिक भास्कर में सम्मन प्रकाशित करने के आदेश दिये। उक्त अखबार राष्ट्रीय अखबार है लेकिन इसके बावजूद भी वह उपस्थित नहीं आई। प्रार्थी ने राजस्व वाद संख्या 274/2022 बअनवानी "अजायब सिंह बनाम अमरदीप सिंह आदि" में गुरदयाल कौर को अपने पास पिण्डी बिलौचा तहसील फरीदकोट में रहने के कथन किये हैं। प्रार्थी एक तरफ तो गुरदयाल कौर को सूचना नहीं होने के कथन कर रहा है तथा दूसरी ओर गुरदयाल कौर के मुखत्यार आम द्वारा पैरवी बन्द करने के कथन कर रहा है जो कि विरोधाभासी है। गुरदयाल कौर को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.2005 व इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2012 का शुरू से ही ज्ञान रहा है। अभिकथित वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है। अभिकथित वसीयत के हिन्दी रूपान्तरण में प्रार्थी अजायब सिंह गुरदयाल कौर का भान्जा होना उल्लेखित है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने गुरदयाल कौर को अपनी भुआ होना बताया है व दफा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में तथाकथित पुराने कागजात की पड़ताल करने पर गुरदयाल कौर द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बंध

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में हनुमानगढ़ स्थित राजस्व न्यायालय में पैरवी करने व उन कागजात के आधार पर प्रार्थी को राजस्व मण्डल अजमेर के अधिवक्ता की जानकारी हुई, लेकिन प्रार्थी ने ऐसी कोई पत्रावली व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। इसके अलावा प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष राजस्व वाद संख्या 274/2022 बअनवानी "अजैब सिंह बनाम अमरदीप सिंह आदि" प्रस्तुत किया है, लेकिन इस राजस्व वाद में जमीन की जानकारी पूर्व में न होने के कोई कथन नहीं है बल्कि उक्त वाद पत्र में गुरदयाल कौर द्वारा जमीन हिस्सा ठेका पर अप्रार्थीगण को देने के कथन हैं। हस्तगत प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थी ने राजस्व वाद संख्या 274/2022 के सम्बंध में कोई कथन नहीं किये तथा जानबूझकर इन तथ्यों को छिपाया है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 13.04.2005 को निर्णय पारित करने के बावजूद माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2012 तक गुरदयाल कौर ने हस्तगत प्रकरण की कोई सुध नहीं ली। तत्पश्चात दिनांक 18.05.2012 के पश्चात गुरदयाल कौर ने अपने जीवनकाल दिनांक 22.01.2022 तक माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के सम्बंध में कोई सुध नहीं ली। गुरदयाल कौर व प्रार्थी अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2012 का है उसके 10 वर्ष पश्चात् हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः गुरदयाल कौर व प्रार्थी को निर्णय दिनांक 18.05.2012 का शुरू से ज्ञान रहा है। अन्त में निवेदन दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जावे। अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी.एन.जे. 2017(3) राज. पेज 1054 तथा आर.आर.टी. 2017(1) पेज 117 पेश की।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम का निर्णय किया जाना न्यायोचित है। इस सम्बंध में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया जिसमें यह उल्लेख है कि प्रार्थी द्वारा अपनी भुआ गुरदयाल कौर के पुराने कागजात की पड़ताल करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि गुरदयाल कौर अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि को प्राप्त करने के लिए हनुमानगढ़ स्थित राजस्व न्यायालय में पैरवी की गई तथा उन कागजात के आधार पर गुरदयाल कौर के राजस्व मण्डल अजमेर में वकील नियुक्त करने व अधिवक्ता की जानकारी हुई। जिनसे प्रार्थी स्वयं मिलने के कथन किये हैं। लेकिन प्रार्थी ने पुराने कागजात की पड़ताल कब की, इस सम्बन्ध में दिनांक, माह व वर्ष का कोई उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नही किया तथा न ही अधिवक्ता की पत्रावली के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत किए। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में निर्णय दिनांक 13.04.2005 पारित किया तथा दोनों पक्षों को दिनांक 30.05.2005 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। दिनांक 30.05.2005 को इस न्यायालय को राजस्व मण्डल की पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्राप्त नहीं हुई, लेकिन दिनांक 30.05.2005 को गुरदयाल कौर इस न्यायालय में उपस्थित हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। यह तथ्य विश्वास करने योग्य नहीं है कि राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय पारित होने के पश्चात् गुरदयाल कौर को इसकी सूचना उसके अधिवक्ता द्वारा न दी गई हो। एक क्षण के लिए यह माना जावे कि राजस्व मण्डल के अधिवक्ता ने गुरदयाल कौर को सूचना नहीं दी तो गुरदयाल कौर की ओर से इस पत्रावली के सम्बंध में क्या प्रयास किये गये, इसका भी कोई उल्लेख प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2017(1) पेज 117 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती–उदार दृष्टिकोण नही अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा–विलम्ब स्पष्ट करने हेतू पर्याप्त कारण नही होना माना'' व डीएनजे 2017(3) राज. पेज 1054 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''वकील पर लापरवाही आरोपित करने की अनुमति नही दी जा सकती, मुवक्किल को प्रर्याप्त जागरूक होना चहिए और स्वंय की कार्यवाहियो के बारे में सूचना रखी जानी चाहिए।'' माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिंनाक 13.04.2005 जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने पक्षकारो को इस न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए तत्पश्चात इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2012 से लेकर गुरदयाल कौर की मृत्यु दिनांक 22.01.2022 तक गुरदयाल कौर ने इस सम्बंध में कोई सुध नहीं ली। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरदयाल कौर व प्रार्थी अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहे तथा अर्सा 10 वर्ष पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें मियाद के सम्बंध में उचित कारण दर्शित नहीं होते हैं। अतः प्रार्थी का दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा का आदेशदिनांक 18.05.2012 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.X.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/10/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़